न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्या:—80/2017 दायर दिनांक:—13.07.2017

जीसीएमएस नं0 2017/00169

1 जगदीश प्रसाद शर्मा उम्र 52 साल पुत्र श्रीपतशर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सोनपालकापुरा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

——————सायल

बनाम

1. हरिलाल उर्फ हीरालाल उम्र 42 साल
2. पूरणसिंह उम्र 60 साल
3. नोलख उम्र 55 साल

पिसरान—रामसिंह, जाति—जाट, निवासी—खिजूरी, तहसील—हिण्डौनसिटी जिला—करौली (राज0)

——————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित—1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायल

2. गैरसायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक:—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 803 रकवा 58 ऐयर स्थित ग्राम खिजूरी तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके रेवन्यू रिकोर्ड हरीलाल उर्फ हीरालाल बहिस्सा 1/6 का प्रतिवादी उदयसिंह बहिस्सा 1/6, प्रतिवादी रतनसिंह, श्रीलाल पिसरान दर्याब हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नौलखसिंह हिस्सा 1/6, प्रतिवादी पूरनसिवंह बहिस्सा 1/6 की खातेदारी रेवन्यू रिकोर्ड में दर्ज है।

प्रतिवादीगण गैरसायलान पूरनसिंह व नौलखसिंह का हिस्सा उक्त आराजीयात खसरा नं0 803 रकवा 58 ऐयर में से यानि 1/6, 1/6 बरावर 1/3 हिस्सा की जमीन 19 ऐयर सायल ने दिनांक 14.07.97 को मुतलिग 24,500/— रू0 में जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड खरीदकर उसी दिन मौके से कब्जा प्राप्त किया है। जो सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के कार्यालय की पुस्तक ... की जिल्द सं0 81 के पृष्ठ सं0 54 की क्र0 सं0 674 पर पंजीवद्ध करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

सायल द्वारा उक्त मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हल्का पटवारी को देकर नामान्तकरण खुलवाने बावत् कहा तो पटवारी हल्का द्वारा सायल से नामान्तकरण

खरेल कर अमल कराने का वायदा किया। इसके बाद सायल द्वारा जमीन को हमेशा काश्त करता रहा और वह कम आज भी बदस्तूर है।

माह जनवरी 2013 में सायल ने केडिट कार्ड के लिये जमीन की जमाबंदी लेने का प्रयास किया तो मोजूदा हल्का पटवारी द्वारा जमीन खरीदशुदा की खातेदारी सायल के नाम नहीं होने और पुराने खातेदारान पूरनसिंह व नौलखसिंह के नाम होना बतलाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती का इल्म हुआ है। सायल द्वारा जानकारी करने पर वह हल्का पटवारी अब नहीं रहे है। इसलिये सायल को असल विक्रय पत्र भी उसे प्राप्त नहीं हो सका है। बडी मुश्किल से नकल प्राप्त कर उसी समय से विकय पत्र का अमल करवाने का प्रयासरत है। मगर सफलता नहीं मिली।

गैरसायलान विकेतागण को हल्का पटवारी की गलती का ऐहसास होने पर उन्होंने जमीन का विक्रय पत्र अन्य डण्डे वाले व्यक्ति को करवाने की ठान ली है। कई लोग सायल से भी सम्पर्क कर रहे हैं। इसलिये अगर गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी कार्यवाही में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हे कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार त फैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नं0 803 रकबा 58 ऐयर सिथत ग्राम खिजूरी तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त सायल में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। नाही सायल को बेदखल करे। स्वयं कब्जा नहीं करे। रहनवय नहीं करे। ऐसा कोई कार्य नातो स्वयं करे ना किसी अन्य से करवावे जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि[illegible] गैरसायल को जरिये नोटिस तवल किया गया। गैरसायल न[illegible] शर्मा अधिवक्ता द्वारा बकालतनामा पेश किया। बाबजूद सूचना उपस्थि[illegible]हीं होने पर गैरसायलान 2 ता 3 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 20.09.2019 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

गयी। गैरसायल न0 1 को कई बार जवाब देने के अवसर दिये गये परन्तु जबाब नही देने की स्थिति में आदेशिका दिनांक 22.03.2024 को जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 12, वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ, विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1997 पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 12, वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 803 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम खिजुरी तहसील सूरौठ का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायलान के हक दिनांक 14.07.1997 में ही बेचान किया जा चुका है किन्तु सायलान के हक में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं अर्थात रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण नहीं खुले। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 803 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम खिजुरी तहसील सूरौठ की खातेदारी गैरसायालान के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सायलान ने खसरा नम्बर 803 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम खिजुरी तहसील सूरौठ भूमि खरीद की है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 803 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम खिजुरी तहसील सूरौठ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:43:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 13.07.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 803 वाके ग्राम खिजूरी तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:24 IST
Reason: SelfAttested